साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्बनिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every...

वर्ष : 8, अंक : 47 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 12 जुलाई 2023 से 18 जुलाई 2023 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

कुफरी में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, जांच के लिए एनजीटी ने बनाई कमेटी

शिमला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यटन स्थान कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लिया है। एनजीटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मुख्य अरण्यपाल और डीएफओ शिमला को इसका सदस्य बनाया गया है। ट्रिब्यूनल ने कमेटी को आदेश दिए हैं कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक करें और कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए कदम उठाएं। ट्रिब्यूनल ने कमेटी से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई 3 अक्तूबर के निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पाया कि कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद भी कुफरी में पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। दिल्ली के अधिवक्ता ने एनजीटी को कुफरी में सफाई व्यवस्था न होने के बारे में पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है। पत्र पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी

ने संयुक्त कमेटी का गठन कर रिपोर्ट तलब की थी।

कमेटी ने रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया कि कुफरी में पर्यावरण नियमों के कई उल्लंघन पाए गए हैं। प्राकृतिक और वनस्पति क्षरण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। छोटे से क्षेत्र में क्षमता से अधिक एक हजार से ज्यादा घोड़े पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा ठोस कचरा प्रबंधन न होने से क्षेत्र में भारी प्रदूषण फैलाया जा रहा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि शिमला के साथ लगते प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी में घोड़ो की लीद ने ग्रामीणों की सेहत खतरे में डाल दी है। सफाई व्यवस्था न होने के कारण लोगों में फेफड़े का संक्रमण पैदा होता रहता है। पेट की बीमारियों से भी लोग पीड़ित हैं। घोड़ो की लीद से अमोनिया आक्साइड निकलती है। इस क्षेत्र के पेयजल स्त्रोतों तक लीद घुलकर पानी को दूषित करती है। इससे पहले प्रदेश हाईकोर्ट ने कुफरी की खस्ताहाल पर संज्ञान लिया था। अदालत ने सरकार को रोटरी क्लब शिमला की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लागू करने के आदेश दिए थे। रोटरी क्लब ने कुफरी को जम्मू और कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, अहरबल और पटनीटॉप की तर्ज पर विकसित करने के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। अदालत ने सरकार को आदेश दिए थे कि राज्य के दूसरे पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने बारे उचित कदम उठाए जाए।

दर्ज किया गया जलवायु इतिहास का अब तक का सबसे गर्म जून, सामान्य से 1.05 डिग्री ज्यादा था तापमान

नई दिल्ली। अब कोई शक नहीं रहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते तापमान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक और उदाहरण जून 2023 में दर्ज किया गया। जब 174 वर्षों के जलवायु इतिहास में जून के दौरान तापमान शिकार पर पहुंच गया है। यह पहला मौका है जब जून के महीने का औसत तापमान सामान्य से 1.05 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। जिसने जून 2023 को अब तक का सबसे गर्म जून का महीना बना दिया।

नेशनल ओसेनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के नेशनल सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल इंफॉर्मेशन (एनसीईआई) अपनी ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। यह रिपोर्ट 13 जुलाई 2023 को जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार यह लगातार 47 वां जून का महीना है जब तापमान बीसवीं सदी के औसत तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरह पिछले 532 महीनों से कभी भी तापमान 20 वीं सदी के औसत तापमान से नीचे नहीं गया है। जो स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया पर हावी होता जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले जून के दौरान अब तक सबसे ज्यादा तापमान 2020 में दर्ज किया गया था, जब तापमान सामान्य से 0.92 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि इस साल तापमान ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वहीं जून 2019 के दौरान तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था जो उसे अब तक का तीसरा सबसे गर्म जून बनाता है। जून 2022 में भी तापमान सामान्य से 0.89 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि लगातार तीसरे महीने, वैश्विक रूप से महासागरों की सतह का औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वैज्ञानिकों की मानें तो मई में जो कमजोर अल नीनो की स्थिति पैदा हुई थी वो जून में और मजबूत हो गई है। यदि महाद्वीपों पर बढ़ते तापमान के असर को देखें तो जहां अफ्रीका ने 2023 में अब तक के अपने तीसरे सबसे गर्म जून का सामना किया था। इसी तरह एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के लिए यह अब तक का चौथा सबसे गर्म जून था। ओशिनिया में यह छठा और उत्तरी अमेरिका के लिए सातवां सबसे गर्म जून रहा। कुछ ऐसे ही हालात देशों में भी दर्ज किए गए जब बढ़ता तापमान जून के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। रिपोर्ट के अनुसार यूके और नीदरलैंड्स ने अब तक के अपने सबसे गर्म जून का सामना किया। इसी तरह कैरिबियन क्षेत्र के लिए भी यह अब तक का सबसे गर्म जून रहा। वहीं न्यूजीलैंड ने अपने पांचवे सबसे गर्म जून को अनुभव किया। चक्रवाती तूफान 'बिपरजोय' ने जून में काफी कहर ढाया था। इसी के चलते पाकिस्तान ने दूसरी बार जून के महीने में इतनी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की है। भारत में भी इसकी वजह से अच्छी-खासी बारिश हुई थी। बढ़ते तापमान को लेकर एनसीईआई ने आशंका जताई है।

साभार - डाउन टू अर्थ

जलप्रलय 2023- शीत रेगिस्तान लद्दाख में पिछले दो दिनों में 10,000 फीसदी से अधिक हुई बारिश

लद्दाख। लद्दाख के सर्द रेगिस्तान में आठ और नौ जुलाई, 2023 को भारी बारिश हुई, जो वहां होने वाली सामान्य बारिश से 10,000 फीसदी ज्यादा थी। इस बारिश ने ग्लोबल वार्मिंग के चलते भीषण बारिश की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। यह घटना पश्चिमी विक्षोभ और वर्तमान में देश भर में सक्रिय मौजूदा मानसूनी प्रणाली के एक दुर्लभ मेल का नतीजा है। इसी संयोग के चलते पूरे उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में भारी बारिश की घटनांए दर्ज की गई थी।

इस बारे में लेह के निवासी सुशांत गुलेरिया ने डाउन टू अर्थ से हुई अपनी बातचीत में बताया कि, यहां करीब 24 घंटों तक बारिश हुई, कुछ पुराने घरों में अब रिसाव होने लगा है। यह घर ऐसी बारिश के अनुकूल नहीं हैं। उनके अनुसार, लेह शहर के आसपास छोटे-छोटे भूस्खलन हो रहे हैं। यह भारी बारिश लद्दाख के संवेदनशील परिदृश्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 8 जुलाई 2023 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुई बारिश में 21 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी। विशेष रूप से, कारगिल में 77 फीसदी की कमी थी, जबकि लेह में 8 फीसदी की कमी रिकॉर्ड की गई। हालांकि सर्द रेगिस्तान होने के कारण इस क्षेत्र में इतनी कम बारिश होती है कि कमी का प्रतिशत बहुत तेजी से बदल सकता है। कुल मिलाकर, एक जून से छह जुलाई 2023 के बीच, लद्दाख में 4.7 मिलीमीटर (मिमी) बारिश हुई, जो 17 फीसदी अधिक थी। हालांकि एक से आठ जुलाई के दौरान हुई बारिश पांच मिलीमीटर तक बढ़ गई थी। इसके बावजूद वो सामान्य से 21 फीसदी की कमी का संकेत देती है। वहीं आठ से नौ जुलाई 2023 के बीच सुबह 8:30 बजे लद्दाख में अचानक बारिश में वृद्धि देखी गई। जो सामान्यत: 0.1 मिलीमीटर रहती है उसकी जगह बढ़कर 19.1 मिलीमीटर दर्ज की गई। आंकड़ों की मानें तो यह बारिश सामान्य से 10,000 फीसदी ज्यादा है। इस तरह देखें तो एक से नौ जुलाई 2023 तक कुल 24.1 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि इस दौरान सामान्य तौर पर 6.5 मिलीमीटर बारिश होती है। इसी अवधि के दौरान यदि कारगिल में हुई बारिश से जुड़े आंकड़ों को देखें तो वो 21 मिलीमीटर दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान सामान्य तौर पर वहां बारिश न के बराबर होती है। वहीं लेह को देखें तो इस अवधि में वहां 18.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो सामान्य तौर पर होने वाली बारिश (0.1 मिलीमीटर) से कई गुणा ज्यादा है। यह कोई पहला मौका नहीं है, जब क्षेत्र में ऐसी असामान्य बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (एसएपीसीसी) के अनुसार, अगस्त 2010 में लद्दाख में बादल फटने की एक अत्यंत असंभावित घटना घटी थी, जिसके लिए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे के वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया था। बता दें कि लद्दाख, अगस्त 2019 तक पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। एसएपीसीसी के मुताबिक, उंचें पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च औसत तापमान के साथ, मानसूनी हवाएं लेह तक पहुंच गई हैं। हाल के वर्षों में इस सर्द रेगिस्तानी क्षेत्र में बर्फ की बजाय कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। इससे लद्दाख में रहने वालों के लिए अनगिनत समस्याएं पैदा हो गई हैं। ऐसे में इन लोगों को अब बारिश के अनुकूल ढलना होगा। लद्दाख में रहने वाले लोग पारंपरिक रूप से अपने घरों को बनाने के लिए धूप में पकी हुई मिट्टी की ईंटों का उपयोग करते हैं। जो ठंड के दौरान घर के अंदरूनी हिस्सों को गर्म रखने में मदद करती हैं। हालांकि हाल के दिनों में, वहां ज्यादा घर सीमेंट से बनाए जा रहे हैं, जो घरों के अंदर ठंड की स्थिति पैदा करते हैं। इनकी वजह से अंदरूनी हिस्सों को गर्म रखना मुश्किल हो जाता है। एसएपीसीसी का कहना है कि, चूंकि बूंदाबांदी, बारिश में बदल गई है। ऐसे में इसके अनुरूप डिजाइनों के साथ नई सामग्री के बारे में भी सोचा जाना चाहिए, जो इस बारिश को सहन कर सके। साथ ही वो पकी हुई मिट्टी की ईंटों की तरह ही घर को गर्म रखने में मदद कर सके। एसएपीसीसी के मुताबिक अब मुख्य चुनौती एक किफायती सामग्री ढूंढना है जो बारिश में होते बदलावों के अनुकूल हो सके और सर्दियों के दौरान घरों को गर्म रखने में मदद कर सके।

पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए जिले में सोलर कंपनियां करवाएंगी पौधारोपण

बीकानेर। जिले में लग रहे सोलर ऊर्जा प्लांट से पर्यावरण को नुकसान ना हो इसके लिए बड़े प्लांट लगाने वाली सोलर फर्म्स को न्यूनतम 1-1 लाख पौधे लगवाने का लक्ष्य दिया गया है। संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन ने सोलर कंपनियों के प्रतिनिधियों और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए । डॉ पवन ने कहा कि सौर ऊर्जा पर्यावरण को संरक्षित करती है लेकिन सोलर प्लांट से पेड़ पौधों व पर्यावरण को नुकसान ना हो, इस के लिए पौधारोपण इन कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक पेड़ के स्थान पर 10 पौधे रोपित करवाए जाएं। कंपनियों के प्रतिनिधियों से इस संबंध में संकल्प पत्र भरवाते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा कि वन विभाग के साथ समन्वय कर पौधे प्राप्त करें और इस मानसून के दौरान ही पौधे सरवाइव कर सकें इसके लिए एक प्लान तैयार कर प्रशासन को उपलब्ध करवाएं । उन्होंने कहा कि इस प्लान में पौधों को जीवित रखने के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले पानी के स्त्रोत का भी विवरण दिया जाए । संभागीय आयुक्त ने शहर में भी इन कंपनियों के माध्यम से ग्रीन पेच विकसित करने की जिम्मेदारी लेने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने कहा कि सोलर प्लांट अपने प्लांट की सीमा पर चारों तरफ प्राथमिकता से पौधारोपण करें और इसके बाद भी यदि उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो चारागाह , गोचर इत्यादि भूमि पर प्रशासन से अनुमति लेकर पौधारोपण किया जाए। साथ ही इन पौधों की उत्तरजीविता के लिए भी नियमित प्रयास हों। उन्होंने कहा कि सोलर फर्म पौधारोपण करवाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्थानीय जलवायु के अनुसार ही पौधों का चयन किया जाए । संभागीय आयुक्त ने जामसर नूरसर , जयमलसर, भानीपुरा, नोखड़ा, बांदरवाल सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर सोलर प्लांट लगा रही कंपनियों को जल्द से जल्द इस कार्य के प्रस्ताव को भिजवाते हुए कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ए एच गौरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश, जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी और कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सरकारी मशीनरी ने अवैध कोयला खनन से निपटने के लिए नहीं उठाए पर्याप्त कदम- मेघालय उच्च न्यायालय

मेघालय उच्च न्यायालय ने छह जुलाई, 2023 को असम के पुलिस महानिदेशक के लिए एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में कोर्ट ने महानिदेशक को मेघालय में अवैध कोयला खनन और अवैध कोक संयंत्रों के संचालन में शामिल मुख्य व्यक्तियों से लेकर शिकायतकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चूंकि याचिकाकर्ता असम में रहते हैं, इसलिए उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से असम के पुलिस महानिदेशक को याचिकाकर्ताओं, उनके परिवार के सदस्यों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस आदेश का पालन स्थानीय पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से किया जाना है। इसका उद्देश्य याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें किसी भी संभावित नुकसान के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान करना है।

मेघालय का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता ने बताया कि वे पहले ही असम में पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद कर चुके हैं। यह संचार असम में रहने वाले उन व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करने के लिए किया गया था जो मेघालय में कोयला खनन और कोक ओवन संयंत्रों के संचालन की अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मामले में मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी, न्यायमूर्ति डब्लू डिएंगदोह और एचएस थांगख्यू की पीठ ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में प्रशासन और पुलिस सहित पूरी मशीनरी ने अवैध कोयला खनन के मुद्दे को हल करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं। उन्होंने नोट किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2016 में दिए आदेशों और उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समस्या से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया था। हालांकि इन आदेशों के बावजूद, अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मौजूदा स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), सात जुलाई, 2023 को आदेश दिया है कि हिसार में ठोस कचरे के प्रबंधन से जुड़े मामले को देखें के लिए संयुक्त समिति गठित की जाए। मामला हरियाणा के हिसार जिले का है। साथ ही एनजीटी ने हिसार के जिला कलेक्टर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस समिति से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। गौरतलब है कि समिति को साइट का दौरा करके अगले चार सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक एवं कार्रवाई रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है। आवेदक संदीप कुमार गुप्ता के मुताबिक हिसार में घरेलू कचरा बिना अलग किए एकत्र किया जाता है। वहां गीला और सूखा कचरा न केवल मिश्रित कचरे के रूप में एकत्र किया जा रहा है, साथ ही घरेलू और खतरनाक कचरे को भी एक साथ ही इकट्ठा किया जाता है। आवेदक का यह भी कहना है कि कचरा निपटान के वाहन सभी घरों तक नहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते लोग खुले में कचरा फेंकने के लिए मजबूर हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पूर्व चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल का पांच वर्षों का कार्यकाल छह जुलाई, 2023 को समाप्त हो गया है। गौरतलब है कि इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जस्टिस गोयल ने एनजीटी के अपने पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान कुल 16,402 मामलों का निपटारा किया है। इनमें अकेले जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने 8,419 मामलों का निपटारा किया है। बता दें कि 2010 में एनजीटी की स्थापना के बाद से जस्टिस आदर्श कुमार गोयल तीसरे चेयरमैन थे। इससे पहले जस्टिस स्वतंत्र कुमार का कार्यकाल 19 दिसंबर 2012 से 19 दिसंबर 2017 तक और एनजीटी के पहले चेयरमैन जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा का कार्यकाल 18 अक्तूबर, 2010 से 31 दिसंबर 2011 तक रहा था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीवेज उपचार और कूड़ा-कचरा के निस्तारण से जुड़े नियमों का पालन न करने और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सीवेज का उपचार करने और ठोस कचरे का निस्तारण करने में एक बड़ा गैप है। मसलन, हर दिन 26,000 एमएलडी तरल अपशिष्ट और 56,000 टन ठोस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही 18 करोड़ टन कचरा भी सालों से जमा है, जिसका निपटारा राज्यों ने नहीं किया है। जुर्माने की इतनी बड़ी राशि को राज्यों के मुख्य सचिवों के शपथपत्र व एनजीटी द्वारा खुद दिए गए आदेशों के तहत जोड़ा गया है। डाउन टू अर्थ ने 28 अक्तूबर, 2022 को अपने एक विश्लेषण में जानकारी दी थी कि महज पांच महीने के भीतर (मई से अक्तूबर, 2022) में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिर्फ सात राज्यों पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

कायाकल्प अभियान में इंदौर जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने दी बधाई

इंदौर कायाकल्प अवार्ड योजना में प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु विभिन्न श्रेणियों में कायाकल्प पुरस्कारों की औपचारिक घोषणा की गई। जिसमें इंदौर जिले की 18 स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह घोषणा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी द्वारा कल सोमवार को की गयी।

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा यह अवार्ड मिलने पर सभी संबंधितों को बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि अवार्ड मिलने से मनोबल बढ़ता है तथा और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि 18 सेंटर ऐसे हैं, जिन्हें पुरस्कृत किया गया है। इससे इंदौर को बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि पूरे मध्यप्रदेश में महू एकमात्र ऐसा ब्लाक है जहां के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि पूरी मेडिकल टीम ने इसमें बहुत मेहनत की है। इस उपलब्धि पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह मध्यप्रदेश के लिए प्रोत्साहन का विषय है। एनएचएम के अंतर्गत 2016 में शुरू की गई पहल कायाकल्प है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ-सफाई की आदत डालने, स्वच्छता, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण है। कायाकल्प के प्रतिस्पर्धा के लिए पुरस्कार देना शुरू किया गया है, जिसे सभी राज्यों ने बेहतर तरीके से लिया है और स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण सुधार देखे जा रहे हैं। कायाकल्प योजना से स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ है। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले हितग्राहियों को स्वच्छ एवं संक्रमण मुक्त वातावरण प्रदान करने तथा उच्च स्तर की मापदण्ड के अनुरूप साफ-सफाई, मरीजों की संक्रमण से मृत्यु, हॉस्पिटल से होने वाले संक्रमण में भारी कमी आई है एवं मरीज जल्दी स्वस्थ हुए है। संक्रमण दर में कमी आने से मरीजों के एन्टीबायोटिक का उपयोग भी कम हुआ है। इससे मरीजों के संतुष्टि स्तर में भी सुधार हुआ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले मरीजों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हुई है। जिससे संस्था में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। कलेक्टर ने कहा कि हम अपनी संस्थाओं में आने वाले हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधायें प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे। महू ब्लाक के तत्कालीन एसडीएम श्री अक्षत जैन (IAS) द्वारा स्वास्थ्य संस्थाओं की बेहतरी हेतु किए गए उल्लेखनीय सहयोग के कारण महू ब्लॉक की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं ने कायाकल्प अभियान में अवार्ड प्राप्त किया। जिन स्वास्थ्य संस्थाओं को अवार्ड मिले हैं उनमें प्राथमकि स्वास्थ्य केन्द्र क्षिप्रा, प्राथमकि स्वास्थ्य केन्द्र कोदरिया, प्राथमकि स्वास्थ्य केन्द्र हरसोला, प्राथमकि स्वास्थ्य केन्द्र हासलपुर, प्राथमकि स्वास्थ्य केन्द्र भगोरा, प्राथमकि स्वास्थ्य केन्द्र गवली पलासिया, प्राथमकि स्वास्थ्य केन्द्र सिमरोल, प्राथमकि स्वास्थ्य केन्द्र चन्द्रावतीगंज, प्राथमकि स्वास्थ्य केन्द्र पालिया, प्राथमकि स्वास्थ्य केन्द्र अटाहेड़ा, शासकीय पीसी सेठी अस्पताल, सिविल अस्पताल महू, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेटमा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देपालपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र कजलाना और शहरी प्राथमकि स्वास्थ्य केन्द्र सुभाष नगर शामिल हैं।

बाढ़ नियंत्रण के कारगर उपाय अपनाने की दरकार

मुंबई। मॉनसून आते ही देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की तबाही नजर आने लगती है। असम, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके पहले ही बाढ़ के शिकार हैं। मॉनसून का मौसम आगे बढ़ने के साथ ही देश के अलग-अलग इलाकों से ऐसी और खबरें आएंगी। पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालें तो बाढ़ की घटनाएं तथा उनसे होने वाला नुकसान लगातार बढ़ रहा है।

आंशिक तौर पर ऐसा जलवायु परिवर्तन के कारण तेज बारिश की घटनाएं बढ़ने के कारण हुआ है लेकिन व्यापक तौर पर देखें तो प्रभावी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का अभाव भी इसकी वजह है। कुछ अन्य आपदाओं मसलन भूकंप आदि के बारे में जहां पहले से कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता या बचाव के कोई उपाय नहीं किए जा सकते हैं, वहीं बाढ़ के अधिकांश मामलों में पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में नुकसान कम करने की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12 फीसदी यानी करीब 4 करोड़ हेक्टेयर भूभाग बाढ़ की आशंका वाला क्षेत्र माना जाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें से करीब 3.2 करोड़ हेक्टेयर यानी 80 फीसदी इलाका ऐसा है जिसे बाढ़ से काफी हद तक बचाया जा सकता है। परंतु इस दिशा में ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। बाढ़ के कारण लगातार बिगड़ते हालात की कई वजहें हैं और वे काफी हद तक जाहिर भी हैं। उदाहरण के लिए वनों का तेजी से कटना, नदियों के जल भराव वाले इलाके में हरियाली का कम होना तथा उनकी सहायक नदियों में गाद का जमना भी इसकी एक वजह है। गाद जमने के कारण उन नदियों की जल धारण क्षमता प्रभावित होती है। नदियों में कचरे का प्रवाह भी इस समस्या में इजाफा करता है। इसके अलावा नदियों के तल और बाढ़ से प्रभावित होने वाली जमीन जिसे आमतौर पर बफर जोन माना जाता है, उन पर भी लोगों ने अतिक्रमण किया है। नदी प्रणालियों में जल प्रवाह का नियमन नहीं होने और बांधों के गेटों को खोलने और बंद करने में समन्वय न होने के कारण भी हालात प्रभावित होते हैं। इसके अलावा शहरों में आने वाली बाढ़ अब एक नई समस्या बन गई है। मुंबई (2005), श्रीनगर (2014), चेन्नई (2015) और पटना (2019) इसके उदाहरण हैं। अपर्याप्त, पुराने और समुचित रखरखाव के अभाव वाली नाली व्यवस्था के अलावा खराब शहरी नियोजन, अवैध अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक जल संरचनाओं का सिकुड़ना या गायब होना तथा नालियों में कचरा डाले जाने के कारण भी ऐसी परिस्थितियां ज्यादा निर्मित हो रही हैं। आश्चर्य की बात है कि ऐसी कोई एक एजेंसी नहीं है जो देश भर में बाढ़ प्रबंधन का काम संभाले। संविधान में भी बाढ़ प्रबंधन को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग जहां बारिश को लेकर पूर्वानुमान पेश करता है, वहीं बाढ़ के पूर्वानुमान का दायित्व केंद्रीय जल आयोग के पास है। एक बार बाढ़ आ जाने के बाद राहत और बचाव कार्य केंद्रीय और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन एजेंसियां करती है। प्रभावित आबादी का पुनर्वास और क्षतिग्रस्त संरचनाओं को पुनर्निर्मित करने का काम नगर निकाय करते हैं और इस काम में उन्हें राज्य तथा केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता होती है। इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान अस्पष्ट हैं। हालांकि पानी, सिंचाई और उससे संबंधित मसले राज्य का विषय हैं लेकिन बाढ़ प्रबंधन को संविधान की केंद्रीय सूची, राज्य सूची और अनुवर्ती सूची किसी में स्थान नहीं दिया गया है। ये अहम मुद्दे हैं जिन्हें तत्काल हल करना जरूरी है और वह भी पूरी समग्रता के साथ। ऐसा होने पर ही हम बार-बार बाढ़ आने की समस्या से निपट सकेंगे। यह सलाह भी दी जा सकती है कि एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ पैनल तैयार किया जाए। मिसाल के तौर पर सन 1970 के दशक के राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के तर्ज पर। ऐसा करके बाढ़ों से जुड़ी तमाम बातों को समझकर इनसे निपटने के लिए एक व्यावहारिक कार्य योजना सुझाई जा सकती है।

चार हजार शहरों में से केवल 12 फीसदी में ही है वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, सीएसई रिपोर्ट

जमशेदपुर भारत के 4,041 जनगणना शहर और कस्बों (सेंसस सिटी और टाउन) में से केवल 12 प्रतिशत में ही वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली मौजूद है। और तो और इनमें से केवल 200 शहर ही सभी छह प्रमुख मानदंडों वाले प्रदूषकों की निगरानी करते हैं। यह तब है जब राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एसीएपी) के तहत स्वच्छ वायु लक्ष्यों के अनुपालन के लिए मजबूत वायु गुणवत्ता निगरानी की आवश्यकता होती है। यह बात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा जारी एक नए विश्लेषण कही गई है। सीएसई ने अपने विश्लेषण में यह भी कहा है कि देश के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क की स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति में है।

सीएसई के विश्लेषण में बताया गया है कि देश की लगभग 47 प्रतिशत आबादी वायु गुणवत्ता निगरानी ग्रिड के अधिकतम दायरे से बाहर है, जबकि 62 प्रतिशत वास्तविक निगरानी नेटवर्क से बाहर हैं। इस संबंध में सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी कहती हैं कि सीमित वायु गुणवत्ता निगरानी से बड़ी संख्या में कस्बों/शहरों व क्षेत्रों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है और विशेष रूप से स्वच्छ वायु कार्रवाई के मूल्यांकन के लिए आवश्यक स्वच्छ वायु कार्रवाई और वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रभावी मूल्यांकन में बाधा आती है। सीएसई के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक अविकल सोमवंशी कहते हैं कि वर्तमान निगरानी नेटवर्क को अपर्याप्त डेटा और निगरानी की खराब गुणवत्ता नियंत्रण की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। इससे स्वच्छ वायु लक्ष्यों के मानदंडों को स्थापित करने में वायु गुणवत्ता प्रवृत्ति मूल्यांकन कठिन बना देता है। वर्तमान शहरी निगरानी ग्रिड कुछ बड़े शहरों में बड़ी संख्या में स्थित हैं और ये ऐसे विशाल क्षेत्र हैं, जहां कोई निगरानी नहीं है। स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने, दैनिक जोखिमों के बारे में जनता को जानकारी प्रदान करने, आपातकालीन प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक कार्रवाई को डिजाइन करने के लिए व्यापक आबादी व आवासों को कवर करने के लिए इसे पूरी तरह से तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। अध्ययन में 883 मैनुअल स्टेशन और 409 वास्तविक समय स्टेशन शामिल हैं। अध्ययन से कई बातें निकल कर आई हैं, जैसे 2010 के बाद से मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या दोगुनी हो गई है। ध्यान रहे कि 2010 में 411 मैनुअल स्टेशन संचालित हो रहे थे। सीपीसीबी वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में 28 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों के 379 शहरों/ 883 कस्बों में ऑपरेटिंग मैनुअल स्टेशन हैं। सीपीसीबी ने एनएएमपी 2020 रिपोर्ट के बाद स्टेशन-वार निगरानी डेटा प्रकाशित करना बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर 2010 के बाद से वास्तविक समय निगरानी स्टेशनों की संख्या 20 गुना बढ़ गई है। 27 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के 209 शहरों/409 कस्बों में वास्तविक समय सीएएक्यूएमएस स्टेशन हैं। इनमें से 77 स्टेशन 2022 में जोड़े गए। 22 फरवरी, 2023 तक, 23 नए स्टेशन और 18 नए शहर नेटवर्क में जोड़े गए, जिससे 221 शहरों में 423 स्टेशन बन गए। वास्तविक परिचालन स्टेशनों का आकलन करना हमेशा संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए कम से कम चार स्टेशनों ने पिछले कुछ वर्षों में कोई निगरानी डेटा रिपोर्ट नहीं किया है। इनमें नवी मुंबई में ऐरोली, मुंबई में बांद्रा, विजयवाड़ा में पीडब्ल्यूडी ग्राउंड और लखनऊ में निशांत गंज शामिल हैं। ध्यान रहे कि 4,041 सेंसस शहरों/ कस्बों में से केवल 476 में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (मैनुअल या वास्तविक समय) हैं। इनमें से अधिकांश (267 शहरों) में मैनुअल स्टेशन हैं। 98 शहरों में केवल वास्तविक समय स्टेशन हैं और 111 शहरों में मैनुअल और रियल टाइम स्टेशन दोनों हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008